सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–447/कु0स0का0/रि0वि0वि0/2026, दिनांक– 21–06–2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

विषय– विश्वविद्यालय/संस्थानों में सिंगल–यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) मुक्त पर्यावरण बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–4072/132–जी.एस./2026 दिनांक 21–06–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की गयी है। वर्तमान समय में सिंगल–यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती गन गयी है, जिस हेतु **विश्वविद्यालय/संस्थान परिसर को अनिवार्य रूप से Single Use Plastic** मुक्त बनाए जाने, स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने तथा अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त पत्र के अनुपालन में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है–

1. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे–प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच,/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।
3. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।
4. परिसरों में "बायो–डिग्रेडेबल" (गीला कचरा) और "नॉन–बायो–डिग्रेडेबल" (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
5. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक **"प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति" (Task Force)** का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।
6. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं में उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है अतः समस्त महाविद्यालय **परिसर में अनिवार्य रूप से Single Use Plastic मुक्त** बनाए जाने हेतु संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

21/06/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

क्रमशः पेज न0 02 पर

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सि0वि0वि0 कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याः ई-4072 /32-जी.एस/2026

दिनांकः 21/06/ ,2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैंः–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी